प्रकरण सं0 ....अनवान.........

Continuation Note Sheet

14-8-25 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, O-7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे।

Gautam

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:16:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 61/2019

सुरजीत सिंह बनाम आत्मा सिंह

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री दिनेश कुमार छाबड़ा अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2
2. श्री जरनैल सिंह टूरना अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14.08.2025

वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में अंकित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा उक्त अनवान का वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया है एवं वाद पत्र में वर्णित भूमि मुख्तयार कौर को अपने पति खीवन सिंह से प्राप्त होना अंकित करते हुए एवं खीवन सिंह के कोई औलाद ना होना अंकित करते हुए स्वयं को भतीजा एवं उत्तराधिकार होना कथन करते हुए यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के नाम से भूमि मुख्तयार कौर ने गलत अंकित करवा दी है जो कि रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर उनके नाम से अंकित की जावे। वाद पत्र के अभिवचनों में भूमि का स्रोत गलत एवं रिकॉर्ड के विपरीत जाकर भूमि जरिए बैयनामा मुख्तयार कौर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा खरीद की गयी होने के बावजूद बिना किसी अधिकार के अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। मुख्य रूप से अंकित करना आवश्यक होगा कि वादीगण ने खीवन सिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार मौजूद होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी को वारिस होना कथन कर एवं मुंहजबानी भूमि मुख्तयार कौर की मृत्यु उपरान्त उन्हें देना कथन कर वाद पेश किया है एवं वाद पत्र के अभिवचनों में पृष्ठ संख्या 5 मद संख्या 3 में यह कथन अंकित किया है कि खीवन सिंह एवं मुख्तयार कौर द्वारा अपने जीवनकाल में "कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 को गोद नहीं लिया एवं ना हीं कोई गोदनामा पंजीकृत करवाया अर्थात वादीगण को पंजीकृत गोदनामा की बाखूबी जानकारी है। मौजूदा आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण महज वाद पत्र के अभिवचनों से किया जाना है जिस हेतु जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने की कतई आवश्यकता नहीं है फिर भी रिफाये उज्र विस्तृत तथ्यों के आधार पर जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है। माननीय न्यायालय मौजूदा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु यदि वाद पत्र के अभिवचनों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि मौजूदा वाद पत्र विधि से बाधित है एवं दीवानी न्यायालय के [illegible] व श्रवणाधिकार का है। वादीगण ने वाद पत्र के माध्यम से खीवन सिंह एवं मुख्तयार कौर के प्रथम श्रेणी के जायज वारिस दत्तक पुत्र आत्मा सिंह के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत दस्तावेज गोदनामा को चुनौती दी है जबकि इस सम्बन्ध में महज दीवानी न्यायालय ही वाद सुनने में सक्षम है इसलिये वाद विधि से बाधित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण को खीवन सिंह की भूमि में किसी भी प्रकार से विधिक हक ना होने के कारण एवं खीवन सिंह के प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:16:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

श्रेणी के वारिस ना होने के कारण वादीगण को मौजूदा वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतूक हासिल नहीं होने के कारण एवं वाद पत्र के अभिवचनों से वाद हेतूक प्रकट नही होने के कारण भी वाद पत्र वाद हेतूक के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है। विधि के प्रावधान इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि बिना वाद हेतूक एवं विधि से बाधित बोगस क्लेम पर आधारित वादों को प्रथम स्तर पर ही दबा देना न्यायालय का कर्तव्य है जिससे कि अनावश्यक न्यायालयों का समय नष्ट ना हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कानूनी है जिनका सर्वप्रथम निर्णय किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र विधिक बिन्दुओं पर एवं सद्भावी तथ्यों पर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे निर्णित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अनवानी वाद वाद हेतूक के अभाव में एवं विधि से बाधित होने के फलस्वरूप इसी स्तर पर बिना आयन्दा विचारण सव्यय निरस्त फरमाया जावे

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 जिस तरह से दर्ज की गई है स्वीकार नहीं है। बल्कि वादीगण द्वारा धारा 88, 183, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है कि विवादाधीन भूमि खीवन सिंह से मुख्तयार कौर को बतौर वारिस प्राप्त हुई थी वादीगण इस अमर की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि उक्त तमाम कृषि भूमि खीवन सिंह से बतौर वारिस मुखत्यार कौर को प्राप्त हुई थी और मुखत्यार कौर को उक्त कृषि भूमि को बंटवारा करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि खीवन सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में गांव के प्रमुख व्यक्तियों के सामने कहा जाता रहा था कि मेरी कोई भी संतान नहीं है, मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नि मुखत्यार कौर अपने जीवन काल तक उक्त भूमि की पैदावार उठाने की अधिकारिणी होगी, उक्त कृषि भूमि को मुखत्यार कौर को बेचने का अधिकार नहीं होगा। मुखत्यार कौर की मृत्यु के बाद उक्त तमाम कृषि भूमि के वारिस मेरे भतीजे वादीगण होंगे और खीवन सिंह सिंह द्वारा मृत्यु से पूर्व भी उक्त यह कथन किया था, क्योंकि खीवन सिंह की अन्तिम ईच्छा थी कि उसके नाम से कृषि भूमि जो कि उसकी आमदन से मुखत्यार कौर अपने जीवन काल तक अपना भरण पोषण करेगी और मुखत्यार कौर को उक्त कृषि भूमि को किसी भी तरह से हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मुखत्यार कौर का देहान्त दिनांक 30.11.2018 को हो गया है इसलिए वादीगण इस अमर की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि इन्तकाल संख्या 470 दिनांक 14.10.2016 को जरिये विभाजन प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से चक 7 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा न. 27 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 में 1.265 हैक्टयर व किला न. 3, 4, 7, 14, 17, 24 में 1.518 हैक्टयर, किला न. 16 में 0.126 हैक्टयर व किला न. 25 में 0.253 हैक्टयर कुल 3.162 हैक्टयर नहरी भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया गया है उसे विलोपित किया जावे और उसकी जगह वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें, क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा दुर्भीसंधि व षड़यन्त्र रचकर उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना वादीगण को सूचना दिये प्रतिवादी संख्या 3 से दुर्भीसंधि करके अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवा लिया गया है जो कि अकृत व शून्य है व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी विधि विरूद्व तरीके से अपने आप को मुखत्यार कौर का दत्तक पुत्र बताते [illegible] रिकॉर्ड में अपने नाम से इन्द्राज करवा लिया गया। खीवन सिंह द्वारा अपने [illegible] में कभी भी [illegible]क पुत्र के रूप में आत्मा सिंह को गोद नहीं लिया [illegible] खीवन सिंह द्वारा कोई भी गोदनामा पंजिकृत नहीं करवाया था, क्योंकि मृतक मुखत्यार कौर को इस बात की जानकारी थी कि मेरे पति की अन्तिम ईच्छा थी कि [illegible]क कृषि भूमि वादीगण को देना चाहता है, इसलिए मृतक मुखत्यार कौर द्वारा प्रतिवादीगण से दुर्भी संधि व षड़यन्त्र रचकर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने नाम से करवा ली गई, क्योंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:16:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

खीवन सिंह की अचानक मृत्यु हो गई थी जिसके कारण लिखित वसीयत नहीं कर सका था, जिसकी जानकारी भी प्रतिवादीगण को थी, इसलिए बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना वादीगण को सूचित किये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त कृषि भूमि अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा ली गई है जो कि अकृत व शून्य है, क्योंकि मुख्त्यार कौर की मृत्यु हो चुकी है। मुख्तयार कौर को विवादाधीन भूमि के सम्बन्ध में जीवन काल तक ही विवादाधीन भूमि की आय से अपना जीवन यापन करने का अधिकार था लेकिन मुख्तयार कौर को विवादाधीन भूमि को किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हरतान्तरण करने का अधिकार नहीं था क्योंकि खीवन सिंह की अन्तिम ईच्छा थी कि मुख्तयार कौर विवादाधीन भूमि से अपना भरण पोषण करेगी उसे उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं था। खीवन सिंह व मुख्तयार कौर द्वारा अपने जीवन काल में कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 आत्मा सिंह को गोद नहीं लिया था और न ही धार्मिक रिती रिवाजों के अनुसार गोदनामा लेने आयोजन किया गया था बल्कि गोदनामा नुमाईशी है। गोदनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 कोई भी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र को लम्बा व देरीना करने की नियत से विधि विरूद्व तरीके से मनगंढ़त तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जो कि खारिज होने योग्य है। महज प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए गलत तथ्य दर्ज किये गये है। कृषि भूमि के सम्बन्ध में वाद सूनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत दीवानी न्यायालय को कृषि भूमि के सम्बन्ध में वाद सुनने से वर्जित किया हुआ है। क्योंकि वादीगण द्वारा सही तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है इसलिए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही है और न ही वादीगण का वादी किसी भी विधि से बाधित नहीं है। महज प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए गलत तथ्य दर्ज किये गये है। वादीगण के वाद पत्र में वाद का कारण मद संख्या 8 में स्पष्ट दर्ज किया गया हुआ है। क्योंकि खीवन सिंह का कोई भी पुत्र नहीं था और वादीगण खीवन सिंह के भतीजें लगते है और वाद पत्र प्रस्तुत करने के अधिकारी है। वादीगण के वाद पत्र में वाद का कारण मद संख्या 8 में स्पष्ट दर्ज किया गया हुआ है। वादीगण का वाद पत्र किसी भी विधि से बाधित नहीं है। बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा मुकदमा को लम्बा व देरीना करने की नियत से विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे अनावश्यक रूप से न्यायालय का समय नष्ट किय जा सके। महज प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए गलत तथ्य दर्ज किये गये है और न ही वादीगण का वाद पत्र बारड बाई लॉ है और न ही वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वर्जित है क्योंकि जो बिन्दु प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाये गये है वह बिन्दु आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत तैय नहीं किये जा सकते बल्कि प्रतिवादीगण का जवाबदावा आने पर तनकीयात कायम की जाकर दोनों पक्षकारों की साक्ष्य लेकर ही तैय किये जा सकते है इसलिए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। महज प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए गलत तथ्य दर्ज किये गये है जिससे मुकदमा को लम्बा व देरीना किया जा सके। वादीगण का वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। क्योंकि कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ... कार्यवाही हो सकती और अन्य न्यायालय को कृषि भूमि के सम्बन्ध वाद सु... वर्जित किया हुआ है। इसलिए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जाने से खारिज किया जावे। क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय विशेष हर्जाना से खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के ने अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:16:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए एवं वाद पत्र के अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किये कि वाद पत्र में वर्णित भूमि मुख्तयार कौर को अपने पति खीवन सिंह से प्राप्त होना अंकित करते हुए एवं खीवन सिंह के कोई औलाद ना होना अंकित करते हुए स्वयं को भतीजा एवं उत्तराधिकार होना कथन करते हुए यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 के नाम से भूमि मुख्तयार कौर ने गलत अंकित करवा दी है जो कि रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर उनके नाम से अंकित की जावे। वाद पत्र के अभिवचनों में भूमि का स्रोत गलत एवं रिकॉर्ड के विपरीत जाकर भूमि जरिए बैयनामा मुख्तयार कौर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा खरीद की गयी होने के वावजूद बिना किसी अधिकार के अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय मौजूदा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु यदि वाद पत्र के अभिवचनों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि मौजूदा वाद पत्र विधि से बाधित है एवं दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। वादीगण ने वाद पत्र के माध्यम से खीवन सिंह एवं मुख्तयार कौर के प्रथम श्रेणी के जायज वारिस दत्तक पुत्र आत्मा सिंह के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत दस्तावेज गोदनामा को चुनौती दी है जबकि इस सम्बन्ध में महज दीवानी न्यायालय ही वाद सुनने में सक्षम है इसलिये वाद विधि से बाधित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण को मौजूदा वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतूक हासिल नहीं होने के कारण एवं वाद पत्र के अभिवचनों से वाद हेतूक प्रकट नहीं होने के कारण भी वाद पत्र वाद हेतूक के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अनवानी वाद वाद हेतूक के अभाव में सव्यय निरस्त फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त– 2021 आर.बी.जे. 213, 2012 आर.बी.जे. 644, 1996(3) आर. बी.जे. 436 प्रस्तुत किये गये। **वकील वादीगण द्वारा जवाब बहस प्रार्थना पत्र में कथन किये गये कि** वादीगण द्वारा धारा 88, 183, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है कि विवादाधीन भूमि खीवन सिंह से मुख्तयार कौर को बतौर वारिस प्राप्त हुई थी वादीगण इस अमर की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि उक्त तमाम कृषि भूमि खीवन सिंह से बतौर वारिस मुखत्यार कौर को प्राप्त हुई थी और मुखत्यार कौर को उक्त कृषि भूमि को बंटवारा करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि खीवन सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में गांव के प्रमुख व्यक्तियों के सामने कहा जाता रहा था कि मेरी कोई भी संतान नहीं है, मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नि मुखत्यार कौर अपने जीवन काल तक उक्त भूमि की पैदावार उठाने की अधिकारिणी होगी, उक्त कृषि भूमि को मुखत्यार कौर को बेचने का अधिकार नहीं होगा। मुखत्यार कौर की मृत्यु के बाद उक्त तमाम कृषि भूमि के वारिस मेरे भतीजे वादीगण होंगे और खीवन सिंह सिंह द्वारा मृत्यु से पूर्व भी उक्त यह कथन किया था। मुखत्यार कौर का देहान्त दिनांक 30.11.2018 को हो गया है इसलिए वादीगण इस अमर की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि इन्तकाल संख्या 470 दिनांक 14.10.2016 को जरिये विभाजन प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से चक 7 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा न. 27 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 में 1.265 हैक्टयर व किला न. 3, 4, 7, 14, 17, 24 में 1.518 हैक्टयर, किला न. 16 में 0.126 हैक्टयर व किला न. 25 में 0.253 हैक्टयर कुल 3.162 हैक्टयर नहरी भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया गया है उसे विलोपित किया जाकर और उसकी जगह वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी विधि विरूद्ध तरीके से अपने आप को मुखत्यार कौर का दत्तक पुत्र होना [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से इन्द्राज करवा लिया गया। खीवन सिंह ने अपने जीवन काल में कभी भी दत्तक पुत्र के रूप में आत्मा सिंह को गोद नहीं लिया। मुख्तयार कौर को विवादाधीन भूमि के सम्बन्ध में जीवन काल तक ही विवादाधीन भूमि की आय से अपना जीवन यापन करने का अधिकार था लेकिन मुख्तयार कौर को विवादाधीन भूमि को किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं था। कृषि भूमि के सम्बन्ध में वाद

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Navan Gautam
Date: 2025.09.25 11:16:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सूनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। वादीगण का वाद पत्र किसी भी विधि से बाधित नहीं है। वादीगण का वाद पत्र ना तो बारड बाई लॉ है और न ही वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वर्जित है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय विशेष हर्जाना से खारिज किया जावे। वकील वादीगण द्वार बहस के समर्थन में श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 08.05.1995 की प्रति, एवम् फोटो प्रति सनद जीवन सिंह पेश की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्थिती निर्विवाद है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का निस्तारण चूंकि वाद पत्र के अभिवचनों से ही होना है एवं इस हेतु प्रतिवादीगण के जवाब अथवा साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है इसलिये हस्तगत प्रार्थना पत्र का निर्णय वाद पत्र के अभिवचनों के आधार पर ही किया जा रहा है। वाद पत्र के अभिवचनों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अपने वाद में मुख्य रूप से मुखत्यार कौर व खीवन सिंह द्वारा किये गये पंजीकृत दस्तावेज खोलानामा 18.04.1981(गोदनामा) को चुनौती दी गई है। इसके अतिरिक्त खीवन सिंह पुत्र हरनाम सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में पंजीकृत दस्तावेज हिबानामा के जरिए मुश्तकर्ता खाता में मुरबा नम्बर 59, 60, 61, 62, 70 में खीवनसिंह पुत्र हरनाम सिंह के हिस्सा की भूमि अपने गोद लिए गये पुत्र आत्मा सिंह के नाम की गई है। उक्त पंजीकृत दस्तावेजात की वैद्यता सत्यता के सम्बन्ध में निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है। प्रस्तुत पंजीकृत दस्तावेजात की वैद्यता सत्यता की जांच करना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। हस्तगत प्रकरण में वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से वर्जित होने, दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने एवं अन्तरण को स्वयं ही शून्य मानने वाले वाद कारण के आधार पर धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण हासिल ना होने एवं प्रकट ना होने के फलस्वरूप चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है एवं इसी स्तर पर आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. के तहत निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां वाद पत्र के अभिवचनों के अवलोकन मात्र से प्रकट हो कि वाद किसी विधि से वर्जित है एवं वाद प्रस्तुत करने का वाद हेतूक न तो प्रकट होता है एवं ना हीं दर्शित होता है वहां ऐसे वादों को कार्यवाही के प्रथम चरण पर ही दबा देना चाहिये। अधिवक्ता वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्तों के तथ्य भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण हाजा पर लागू नहीं होते है जबकि अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण हाजा पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। अतः वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरस्त किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाता है। वाद अनवानी सुरजीत सिंह बनाम आत्मा सिंह विधि से [illegible] वाद हेतूक के अभाव में इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील [illegible] अभिलेखागार हो।

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा [illegible]ाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:16:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner